जिला परिषद्, गिरिडीह का कार्यालय।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–04/2016–17

(पंचायत भवन अनुरक्षण/परिवर्तन/सुसज्जीकरण मद एवं अनाबद्ध निधि)

1. विभाग का नामः– जिला परिषद, गिरिडीह।
2. विज्ञापन दाता का नामः– जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि 27.12.2016 एवं समय 11:00 बजे पूर्वाहन से 03:00 बजे अप्राहन तक।
4. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान– जिला परिषद, गिरिडीह/सहायक अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह।
5. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय – दिनांक 28.12.2016 (3:00 बजे अप्राहन तक)
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समय – दिनांक 28.12.2016 (3:30 बजे अप्राहन)
7. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान – जिला परिषद, गिरिडीह।
8. कार्य की विवरणी :–

क्र0 सं0	प्रखण्ड	योजना का नाम	पुनरिक्षित प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (2%)	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	धनवार	धनवार प्रखण्ड के लालबाजार पंचायत भवन का शेष कार्य निर्माण।	1075000.00	21500.00	2500.00	2 माह
2		धनवार प्रखण्ड के सापामारण पंचायत भवन का शेष कार्य निर्माण।	1259000.00	25180.00	2500.00	2 माह
3		धनवार प्रखण्ड के द0 डोरण्डा पंचायत भवन का शेष कार्य निर्माण।	1790900.00	35818.00	5000.00	2 माह
4	बिरनी	बिरनी प्रखण्ड के खेदवारा पंचायत भवन का शेष कार्य निर्माण।	1790500.00	35810.00	5000.00	2 माह
5		बिरनी प्रखण्ड के बंगराकला पंचायत भवन का शेष कार्य निर्माण।	2191500.00	43830.00	5000.00	2 माह
6	जमुआ	जमुआ प्रखण्ड के नावाडीह पंचायत भवन का शेष कार्य निर्माण।	1281451.00	25629.00	2500.00	2 माह
7		जमुआ प्रखण्ड के पालमो पंचायत भवन का शेष कार्य निर्माण।	1387300.00	27746.00	2500.00	2 माह
8	सरिया	सरिया प्रखण्ड के घुठियापेसरा पंचायत भवन का शेष कार्य निर्माण।	2203104.00	44062.00	5000.00	3 माह
9	अनाबद्ध निधि	गिरिडीह प्रखण्ड के सिहोडीह में कबीर ज्ञान मंदिर के पीछे मुहल्ले में पी0सी0सी0 रोड में पुलिया निर्माण।	602250.00	12045.00	1250.00	2 माह
10		गिरिडीह प्रखण्ड के ग्राम पं0 सिहोडीह मौर्यपूरी में श्री अर्जुन वर्मा मास्टर साहब के घर के रास्ते में नीचे नाला में पुलिया निर्माण।	1196900.00	23938.00	2500.00	2 माह

नोटः– निविदा की शर्त्तें जिला परिषद कार्यालय के सूचनापट एवं गिरिडीह जिला के website www.giridih.nic.in पर देखा जा सकता है। साथ ही यह सूचित किया जाता है कि सरकार के निर्देशानुसार कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करना है।

15/12/16

जिला अभियंता,
गिरिडीह।

1. योजना की संरचना एवं प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है। योजनाओं में पूर्व से किये गये कार्य के बाद से अतिरिक्त किये गये कार्य का ही भुगतान किया जायगा परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि ही मान्य होगी।
2. जिला परिषद, गिरिडीह में समुचित श्रेणी के निबंधित संवेदक ही इस निविदा में भाग ले सकते हैं एवं उन्हें परिमाण विपत्र का निर्धारित मूल्य जमा करने पर परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा।
3. परिमाण विपत्र क्रय हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित परिमाण विपत्र की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।
4. परिमाण विपत्र समुचित श्रेणी के संवेदकों का या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संवेदक द्वारा अभिप्रमाणित हो, को समर्पित कागजातों की जाँच के बाद समुचित मूल्य अदायगी पर निर्गत किया जायगा।
5. निविदाकार सभी निविदा कागजातों के सभी पृष्ठों का क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित कर उपर के पृष्ठ पर कुल पृष्ठ संख्या अंकित करेंगे अन्यथा भविष्य में किसी तरह के विवाद के लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
6. परिमाण–विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा जो लौटाया नहीं जायेगा। बैंक ड्राफ्ट सचिव, जिला परिषद, गिरिडीह के पदनाम से देय होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एवं गिरिडीह शाखा में भूगतेय होगा।
7. निविदा के साथ निबंधन प्रमाण–पत्र, आयकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र, अद्यतन बिकी कर सफाया प्रमाण–पत्र, श्रम निबंधन प्रमाण–पत्र एवं चरित्र स्वच्छता प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
8. निविदाकार निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल का स्वयं निरीक्षण करने के उपरान्त स्थल की स्थिति आदि से संतुष्ट होकर ही निविदा में भाग लेंगे।

9. निविदा के साथ परिमाण–विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि व्यक्तिगत नाम से पंजीकृत संवेदक अग्रधन के रूप में 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र (आठवाँ निर्गत) अथवा 3/5 वर्षीय सावधी जमा/राष्ट्रीयकृत बैंक का Fixed Deposit डाकघर पासबुक दे सकते हैं, जो जिला अभियंता,जिला परिषद, गिरिडीह के पदनाम से प्रतिज्ञित हो संलग्न करना आवश्यक है।
10. कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों छड़, सीमेंट, चिप्स, ईंट इत्यादि विशिष्टियों के अनुरूप कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करना होगा।
11. निर्माण सामग्रियों तथा चिप्स, इत्यादि की गुणवत्ता की जाँच अनुमोदित प्रयोगशाला से संवेदक को अपने व्यय पर कराना होगा। कार्यों के विपत्र का भुगतान जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।
12. किसी प्रकार के दर बढ़ोतरी (प्राईस स्कालेशन) मान्य नहीं होगा।
13. शर्त्तयुक्त निविदा मान्य नहीं होगा।
14. परिमाण विपत्र के साथ संलग्न शर्त्तें एकरारनामा का अंग होगा।
15. कार्य से संबंधित विशेष जानकारी किसी कार्य दिवस में जिला अभियंता, गिरिडीह के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16. कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर समान दर होने की स्थिति में स्थानीय संवेदक को कार्य आवंटन में प्राथमिकता दी जा सकती है।
17. निविदा के साथ अग्रधन एवं एकरारनामा के समय दी जाने वाली जमानत की राशि परिमाण विपत्र की राशि के क्रमशः 2% या 3% की दर से जमा करना अनिवार्य होगा। विपत्रों के भुगतान से अतिरिक्त 5% जमानत राशि की भी कटौती की जायेगी।
18. सफल निविदा दाता को निविदा के निष्पादन होने के 7 (सात) दिनों के अन्दर संवेदक को निर्धारित प्रपत्र में एकरारनामा आवश्यक रूप से करना होगा। अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायगी तथा कार्य दूसरे न्यूनत्तम दर दाता के नाम कार्य आवंटित करने हेतु अनुशंसित कर दिया जायगा।
19. बिना कारण बताये कार्य की किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी (जिला अभियंता) के पास सुरक्षित होगा।
20. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
21. संवेदक के विपत्र से आयकर, बिक्री कर, रॉयल्टी, रेभन्यू आदि के अलावा सरकार के आदेशानुसार 01 (एक) प्रतिशत राशि लेबर शेष हेतु कटौती की जाएगी।
22. निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। एकरारनामा की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायगी।
23. परिमाण विपत्र की दर से 10% निम्न दर तक ही निविदा मान्य होगा।
24. निर्माण कार्य समाप्ति के बाद कार्य का त्रुटि सुधार दायित्व का अवधि 1 वर्ष होगा।
25. निविदा डालते समय निविदा दाता लिफाफा के उपर ग्रुप संख्या एवं कार्य का नाम की उल्लेख अवश्य करेंगे।
26. आवंटन उपलब्ध होने पर विपत्र का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
27. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक द्वारा जिला परिषद, गिरिडीह में कोई भी कार्य लम्बित रहने पर कार्य आवंटन में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
28. जिन संवेदकों का नाम विभाग द्वारा निर्गत डी–बार सूची में अंकित है, उन्हें परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायगा।
29. एकरारनामा के समय वर्क प्रोग्राम (बार चार्ट) देना अनिवार्य है, जो एकरारनामा का हिस्सा होगा तथा वर्क प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य की प्रगति लानी होगी।
30. सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों, अनुदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
31. संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति एवं गलत व्यवहार के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेंगे।
32. जिन संवेदको के द्वारा परिमाण विपत्र ली जाती है, उन्हें अग्रधन की राशि तथा सम्पूर्ण कागजातों के साथ निविदा निश्चित रूप से डालनी होगी अन्यथा भविष्य में उन्हें कार्य आवंटन में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
33. Verified Ucan No. जिस संवेदक को आवंटित किया है वह निविदा में सम्मिलित हो सकेंगे।
34. एक माह लगातार कार्य बन्द रहने पर संवेदक का कार्य आवंटन रद्द् किया जा सकेगा।

15/12/16
जिला अभियंता,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 1052/जि०प०, दिनांक 15.12.16

प्रतिलिपिः– सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

15/12/16
जिला अभियंता,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 1052/जि०प०,दिनांक 15.12.16

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,(NIC) गिरिडीह/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह/जिला योजना शाखा, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

15/12/16
जिला अभियंता,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 1052/जि०प०,दिनांक 15.12.16

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष,जिला परिषद, गिरिडीह/उपायुक्त,गिरिडीह/उप विकास आयुक्त, गिरिडीह/पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह/अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह/जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

15/12/16
जिला अभियंता,
गिरिडीह।